जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा / उपा. / जोन–12 / 2022 / डी–1728 दिनांक 06-07-2022

रियासत इन्फा डवलपर्स प्रा.लि.
जरिये निदेशक श्री किशोर कुमार सेनी पुत्र श्री धूकलराम सैनी
निवासी सी–33, 6डी, इजिनीयर्स कॉलोनी,
स्वर्ण गार्डन के पीछे, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

विषय :– ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के ख.नं. 816 / 233, 817 / 233 व 795 / 231 कुल किता 03 रकबा 1.3067 हैक्टयर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना "रियासत प्राईम ब्लॉक बी" का मानचित्र जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के ख.नं. 816 / 233, 817 / 233 व 795 / 231 कुल किता 03 रकबा 1.3067 हैक्टयर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना "रियासत प्राईम ब्लॉक बी" आवासीय योजना में रहन रखे गये 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन मुक्त कर भूखण्डों का इन्द्राज योजना मानचित्र में अंकित कर दिया गया है, मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत है। योजना के समस्त भूखण्ड रहन मुक्त किये जाते है।

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"RIYASAT PRIME BLOCK-B"

IN KHASRA NO.:- 795/231, 816/233, 817/233.
AT VILLAGE :- BINDAYKA, TEH.:- JAIPUR & JAIPUR.

972 / B / 02.2.22

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है ।

अमीन
जोन–12

नोट

1. कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 12.11.2021 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 30, 36, 37, 38 एवं भूखण्ड संख्या 45 कुल 5 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 988.48 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डो का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 310 वीं बैठक दिनांक 09.12.2021 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. योजना का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत भू–उपयोग ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत भू–उपयोग यू–1 (आवासीय) है एवं नगर निगम सीमा में स्थित है।
7. बीपीसी (एलपी) की बैठक 310 दिनांक 09.12.2021 के निर्णय कि पालना में योजना के भूखण्डो पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार व योजना मानचित्र टाउनशिप पौलिसी 2010 के तहत जारी किया जा रहा है।
8. प्रकरण में बी.पी.सी एल.पी की 310 वी बैठक 09.12.2021 के एजेण्डा संख्या 11 के बिन्दू संख्या 1 की पालना में योजना में प्रस्तावित पार्क एवं भूखण्ड संख्या 15 के मध्य 3.00 मीटर लेन आरक्षिति रखते हुए भूखण्ड संख्या 15 के शेष रहे क्षेत्रफल को भूखण्ड संख्या 16 व 17 में सम्मिलित किया गया हैं। जिस कारण भूखण्ड संख्या 15 को विलोपित किया गया हैं।

सहायक नगर नियोजक
जोन–12

तहसीलदार
जोन–12

उपायुक्त
जोन–12

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र

पहुंच मार्ग मानचित्र

दिशा सुचक

मास्टर विकास योजना २०२५ के अनुसार भू उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
१ कुल आवासीय भूखण्ड = 61
२ खुदरा व्यवसायिक भूखण्ड = S-12

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	7338.84	56.16 %
2.	RETAIL	72.00	0.55 %
TOTAL = 1+2		7410.84	56.71 %
3.	PARK	653.46	05.00 %
4.	S.W.M.	50.00	0.38 %
5.	MOBILE TOWER	20.03	0.15 %
6.	ZNL RD 24 M.	1409.24	10.79 %
7.	ROAD	3523.43	26.97 %
TOTAL = 3 TO 7		5656.16	43.29 %
SCHEME AREA		13067.00	100.00 %
		01.3067 HECT.	

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार

नाम
उपायुक्त जोन:–

बी.पी.सी / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम:– PROPOSED LAY OUT PLAN OF "RIYASAT PRIME BLOCK-B" IN KHASRA NO.:- 795/231, 816/233, 817/233. AT VILLAGE:- BINDAYKA, TEH.:- JAIPUR & JAIPUR.

जोन संख्या = 12

पैमाना :- 1:500

सहायक नगर नियोजक	अति.सहायक नगर नियोजक	वरिष्ठ नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT: Cad Max PROJECTS (P) LTD.

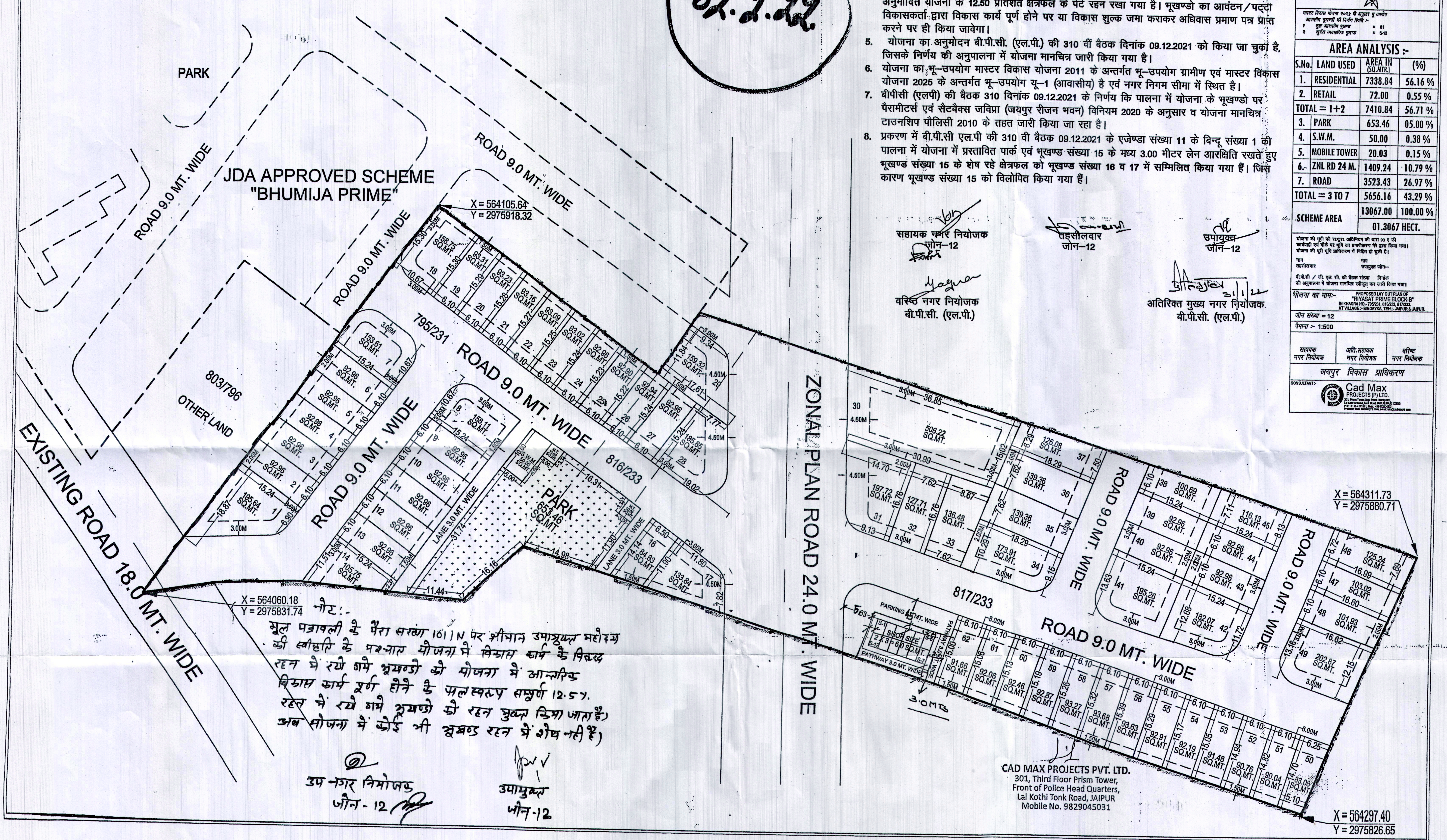

नोट:- मूल पत्रावली के पैरा संख्या 10।1N पर श्रीमान उपायुक्त महोदय की स्वीकृति के पश्चात योजना में विकास कार्य के विरुद्ध रहन में रखे गये भूखण्डो को योजना में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप सम्पूर्ण 12.5% रहन में रखे गये भूखण्डो को रहन मुक्त किया जाता है। (अब योजना में कोई भी भूखण्ड रहन में शेष नहीं है)

उप नगर नियोजक
जोन - 12

उपायुक्त
जोन -12

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031